क्रम	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	के निस्तारण में कोविड महामारी के कारण लोकडाउन हो जाने से निस्तारण नहीं हो सका। अब कोर्ट कार्य सुचारु रूप से चालू है। प्रस्तुत अर्जेन्ट नेचर का है काफी पुराना है, इसलिए न्यायहित में प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थनापत्र O6 R17 सपठित 153 CPC एवं फाईनल बहस एकसाथ सुनकर एकसाथ दोनों का निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ। अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र एवं बहस फाईनल दिनांक 11/8/21 को पेश हो।	(हस्ताक्षर) हरसहाय मीना वादी सं. 2
11/8/21	वकील फरीकैन उप०। बहस फाईनल एवं बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादीगण की एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण बहस करना नहीं चाहते हैं। पत्रावली वास्ते फाईनल निर्णय एवं आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 27/8/21 को पेश हो। सूचना लिखने पर वादीगण की ओर से श्री नेमीचंद गर्ग एड० ने वकालतनामा पेश किया जो शा० प० हो।	
25/8/21	वकील फरीकैन उप०। 500 सा० दीगर कार्यों में व्यस्त हैं। पुकार दिनांक 1/9/21 को पेश हो।	
1/9/21	वकील फरीकैन उप०। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. की बहस पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी नं. 2 की ओर से प्रार्थना पत्र की बहस लिखित प्रस्तुत की जा चुकी है अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नं 2 वाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत	नम्बर अहलकार तामील
	हाजरी के समय नाबालिग थी, शामिल की दावा के शीर्षक में नाबालिग जरिये माता कुदरती माता मनकाई द्वारा किया हुआ है। अब प्रार्थिया। प्रति सं. 2 बालिग है प्रार्थिया का वास्तविक नाम मोनिका है, इसलिए दावा में प्रार्थिया का नाम मोनिका दर्ज है, प्रार्थिया का नाम दसवीं के प्रमाणपत्र, पहचान कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में असली उर्फ पुत्री मनोहरलाल दर्ज है। इसलिए शीर्षक में उक्त संशोधन किया जाना न्याय के लिए उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया प्रति सं. 2 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। दावा के शीर्षक में प्रति० नं. 2 के "मोनिका उर्फ असली" पुत्री मनोहरलाल जाति मीना निवासी [illegible] तहसील [illegible] जोड़ा जाने के आदेश दिये जाते हैं। शीर्षक में लाल स्याही से अंकन किया जावे। दावा की फाईनल डिक्री प्रति० नं. 1 व 2 तथा प्रति० नं. 3 पर तामील किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादीगण खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल रिकार्ड हो। [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

क्र0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
3/04	दावा	19.07.2004	01.09.2021
3/14		26.03.2014	
3/17		06.12.2017	

1. गिर्राज प्रसाद आयु 50 साल पुत्र घूडया जाति मीना
2. मुस.जलबाई उम्र 80 साल बेवा घूडया (मृतक हजफ)
   2.हरसहाय पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति मीना
   निवासीयान रूण्डी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। –वादीगण

बनाम

1. मुस. गयाबाई आयु 42 साल बेवा भरोसी जाति मीना पुत्र घूडया (मृतक)(हजफ)
2. मोनिका उर्फ अखलेशी पुत्री भरोसी जाति मीना निवासी रूण्डी तहसील सपोटरा।
3. कल्ला मीणा उम्र 22 दत्तक पुत्र भरोसी जाति मीणा
   सभी निवासीयान रूण्डी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–श्री शेरसिंह अभिभाषक वादीगण।
श्री नेमीचंद गुप्ता अभिभाषक वादीगण।
श्री श्याम प्रकाश गर्ग अभिभाषक प्रति0 सं0 1,2
श्री मदनमोहन गुप्ता अभिभाषक प्रति0 सं0 3

निर्णय

दिनांक 01.09.2021

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि ग्राम रूण्डी तहसील सपोटरा जिला में स्थित आराजी खसरा नं0 236 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 43 रकबा 03 खसरा नं0 130 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 222 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, नं0 292 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 315/211 रकबा 02 बिस्वा तथा ग्राम तहसील सपोटरा जिला करौली में खसरा नं0 574 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा, खसरा रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। इनमे से सिवाय खसरा नं0 81 के शेष विवादित भूमि मे घूडया मीणा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा खसरा नं0 81 घूडया के निस्फ हिस्से की खातेदारी, व कब्जे काश्त की भूमि रही है इसमे निस्फ की खातेदारी छीतर पुत्र हरचंद की सन्तान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। के स्वर्गवास होने के पश्चात् खसरा नं0 81 के अलावा शेष समस्त विवादित काश्ता वादी गिर्राज के पुत्र होने के आधार पर तथा वादीया नं0 2 उसकी बेवा होने के पर 1/3, 1/3 हिस्से के हकूक खातेदारी प्राप्त है तथा शेष 1/3 हिस्से की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा (राजस्था)–करौली

मृतक का पुत्र होने के आधार रहती है। वह 23.04.2004 को फोत हो चुके है। उसके पश्चात उसके हिस्से मे प्रतिवादीगण 1/9, 1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इस तरह खसरा नं0 81 मे वादीगण 1/6, 1/6 के खातेदारी काश्तकार तथा प्रतिवादीगण 1/18, 1/18 हिस्से के खातेदार है। खसरा नं0 81 के निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार छीतर की सन्तान से कोई विवाद नही है, इसलिए उन्हे फरीक नही बनाया है। उक्त समस्त विवादित भूमि पक्षकारान की हिन्दू संयुक्त परिवार की मुस्तरका पैतृक सम्पति है। धूडया के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् तहसील सपोटरा के कर्मचारीगण ने सहवन से विवादित भूमि में वादीया नं0 2 जलबाई के हकूक खातेदारी का इन्द्राज नहीं किया। जिसका सर्वप्रथम ज्ञान वादीया को भरोसी के दिनांक 23.04.2004 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण दिनांक 18.07.2004 को भरने की कार्यवाही करने पर हुआ कि राजस्व रिकार्ड मे वादीया जलबाई के हकूक खातेदारी का इन्द्राज नहीं है। जिसका इन्द्राज उपर लिखाए मुताबिक वादीया जलबाई कराने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण उक्त इन्द्राज कराने से इंकार है। जिससे हकूक वादीया जलबाई के प्रभावित होते है। इसलिए यह दावा घोषणा कराने का प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी नं0 1 के पीहर वाले लठैत, मालदार, बडे परिवार वाले होने से प्रतिवादीया सं0 1 विवादित भूमि में वादीगण के हिस्से को हडप करने तथा ताकत के बल पर काश्त मे व्यवधान डालनें की कल दिनांक 18.07.2004 से एलानिया धमकी दे रहे है और हलका पटवारी से मिलकर वादीया जलबाई के हकों का इन्द्राज ना करके नामान्तरकरण भरवाने व उसके तस्दीक कराने पर तुले हुए है। इसलिए वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात वाके ग्राम रूण्डी तहसील सपोटरा मे वादीगण के हिस्से 1/3, 1/3 कुल 2/3 हिस्से की हकूक खातेदारी मुस्तर्का कब्जा काश्त घोषित किये जाने तथा खसरा नं0 81 वाके ग्राम कुडगांव में वादीगण के हिस्से 1/6, 1/6 किये जाने एवं प्रतिवादीगण को द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने नोटिस लेने से इन्कार करने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से वकील तथा प्रतिवादी सं0 4 के प्रतिनिधि उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के कारण प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त किया गया। प्रतिवादी सं0 3 ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के सभी मद स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को भरोसी ने अपने जीवनकाल मे कार्तिक सुदी 2 सम्वत् 2000 हस्ब बिरादरी रीति रीवाज अनुसार गोद लिया यानि गिर्राज प्रसाद ने व उसकी औरत भौती देवी ने यानि प्राकृतिक माँ बाप ने भरोसी की गोद मे बिठा दिया और भरोसी ने व मुस्तमस गयाबाई ने मुझे प्रतिवादी सं0 3 को गोद स्वीकार किया तभी से प्रवितादी सं0 3 का यही लालन पालन कर रहे है और भरोसी की देखभाल व उसकी बीमारी मे प्रार्थी प्रतिवादी सं0 3 ने देखभाल व पैसा लगाया था

उपखण्ड अधिकारी ...-करौली

र उसके मरने के बाद मुझ प्रतिवादी सं0 3 ने हस्ब रीति रिवाज एवं पांच आदमीयों व
तेदारों के बीच मेरे ही भरोसी की पकडी बंधी तथा मैं ही गंगाजी ले गया। एक पुत्र की
ति सारे कार्यक्रम मुझ प्रतिवादी सं0 3 ने किये एवं भरोसी की जायदाद पर प्रतिवादी सं0 1
2 के साथ काबिज है। वक्त गोद पांच आदमियों को नारियल बतासे एवं भरोसी ने खान
न अपने घर पर किया और इनके साथ ही प्रतिवादी सं0 1 व 2 के साथ रहकर अपना
वन यापन कर रहा है। इसलिए इकबालिया जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि
रोसी की जायदाद पर प्रतिवादी सं0 3 का दादरसी अनुसार हक व हिस्सा है। प्रवितादी सं0
एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का भरोसी की जायदाद में समान हिस्सा है। दावा वादीगण इसी
कार डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं0 3 को कोई एतराज नही है।

प्रतिवादी सं0 1 ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के मद सं0 1 को स्वीकार
कया हैं तथा मद सं0 2 लगायत 6 एवं 11 को गलत होने से अस्वीकार किया है। वाद पत्र
अन्य मद नं0 कानूनी होने से माननीय न्यायालय से संबंधित है। प्रतिवादी सं0 1 ने निवेदन
या है कि वादीया नं0 2 का विवादित आराजीयात से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है।
दी सं0 1 गिर्राज स्वयं व भरोसी के वारिस प्रतिवादी नं0 1 व 2 जमीनों पर बहैसियत
तेदार काश्तकार काबिज है। वाद पत्र का पैरा नं0 3 अस्वीकार करते है सहखातेदार को
यमानुसार पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी गिर्राज व प्रतिवादी सं0 1 व 2 मौके पर
मीनों पर काबिज है मौके पर हिस्से हो रहे है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्से
खाता होने का वादीगण को पूर्ण जानकारी रही है। वादीया नं0 2 जलबाई का विवादित
राजीयात से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नही है मीना जाति मे मेल वारिस होने पर
त व लडकियों के कोई अधिकार नहीं होते है। इस प्रकार वादीया नं0 2 ने कोई किसी
ह के हकूक खातेदारी आराजीयात में नही है ना ही वह विवादित जमीनों पर काबिज है।
ला, गिर्राज वादी का पुत्र है जिसे गलत तरीके से दावा मे प्रतिवादी नं0 3 बनाकर दत्तक
भरोसी दर्ज कर दिया है। कल्ला उर्फ कैलाश को भरोसी ने या मुझ प्रतिवादी सं0 1 द्वारा
भी गोद नही लिया ना ही कोई गोद की रस्म हुई है। कल्ला गिर्राज का पुत्र है और
ज की जमीन जायदाद पर काबिज है। पढा लिखा है और समस्त दस्तावेजात मे भी
ला के पिता का नाम भरोसी ही दर्ज है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 ताकत व पैसे से कमजोर
प्रतिवादी नं0 1 बेवा बुजूर्ग औरत है और प्रतिवादी नं0 2 नाबालिग लडकी है। भरोसी के
होने पर हम जमीन विवादित मे भरोसी के हिस्से पर काबिज है। खसरा नं0 81 मे हमारा
हिस्सा है व अन्य जमीनों मे 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।
बाहमी बंटवारा हो रहा है, बट के अनुसार डोल डली हुई है। तलाई का डांडा गांव से
की तरफ का खेत शामिल है जिसे एक साल हम प्रतिवादी सं0 1 व 2 काश्त करते है व
साल गिर्राज काश्त करता है। शेष जमीनों मे डोल हिस्से अनुसार डले हुए है और हम
यत खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की कमजोरी का फायदा
र जमीनों को वादीगण हडपना चाहते है। गिर्राज ने जलबाई को बहला फुसलाकर अपने

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा ...ला-करौली

दावे मे शामिल कर लिया है एवं अपने पुत्र को प्रतिवादी बनाते हुए दत्तक पुत्र भरोसी कर दिया है। इस प्रकार से हमारे हकूको को छीनने की गरज से यह दावा पेश कर है और कल्ला उर्फ कैलाश से दत्तक पुत्र को इकबाली जवाब पेश करा दिया है। खसरा 81 का अन्य राहखातेदार घूड़या मीना आवश्यक पक्षकार मुकदमा है, उसे पक्षकार बनाये दावा हाजा चलने योग्य नही है। वादीगण ने जमीनो को संयुक्त खातेदारी व कब्जे की या है बिना बंटवारे का दावा करे व बंटवारा कराये स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य है। वादीया नं0 2 विवादित जमीनों या इनके किसी हिस्से पर काबिज नही है इसलिए दावा हाजा चलने योग्य नही है। अतः दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीया सं0 2 की ओर से वली अदालती ने जवाबदावा पेश कर कथन किया है वाद पत्र के मद नं0 1 मे दर्ज वादग्रस्त आराजीयात का ग्राम रूण्डी एवं कुडगांव में स्थित ना ही सही व स्वीकार है अन्य दर्ज तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये है, गलत है व स्वीकार है। वाद पत्र के मद नं0 2 में तथ्यों को जिस प्रकार से दर्ज किया गया है गलत अस्वीकार है। वादीया नं0 2 को वादग्रस्त आराजीयात बाबत् कभी भी कोई खातेदारी वत अधिकार प्राप्त नही हुए है। शीर्षक मे कल्ला को भरोसी का दत्तक पुत्र गलत दर्ज या है भरोसी द्वारा कभी कल्ला को गोद नहीं लिया गया है। वाद पत्र के मद नं0 3 में तर की सातानों को पक्षकार नहीं बनाने बाबत् तथ्य दर्ज किये गये है जो गलत एवं ीकार है। घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के दावे मे समस्त राहखातेदारान को पक्षकार या जाना कानूनन आवश्यक है। परिणामस्वरूप छीतर के वारिशों को पक्षकार मुकदमा नहीं ये जाने के फलस्वरूप मुकदमा नॉन जोईन्डर ऑफ नेसासरी पार्टीज की बिना पर खारिज े जाने योग्य है। वाद पत्र के मद नं0 4 में तथ्यों को जिस प्रकार से दर्ज किया गया है त व अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि का राह खातेदारान के मध्य पूर्व मे ही मौके पर विभाजन चुका है। वाद पत्र के मद नं0 5 में तथ्यों को जिस प्रकार से दर्ज किया गया है गलत है अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि को घूड़या ने अपने जीवनकाल मे ही अपनी वृद्वावस्था के ण काश्त करना बन्द कर दिया तथा पूरे रकबे को अपने दोनो लडके गिर्राज (वादी) एवं ी (पिता प्रतिवादीया सं0 2) के बीच बांट दिया तब से ही गिर्राज एवं भरोसी दोनो अपने हिस्से की जमीन को पृथक पृथक वाहिद काश्त करते रहे है व एक दुसरे के हिस्से में रकबे से अपना सम्बन्ध छोड चुके है। घूड़या के मरने के बाद गिर्राज व भरोसी के नाम न्तरकरण तभी हो चुका है जिस बाबत् भरोसी के जीवनकाल मे कभी कोई विवाद नही गया। अब पिता भरोसी के मरने के बाद वादीगण आपस मे साजिश रचकर हम वादीया नं0 1 व 2 के हिस्से को हडपने के लिए गलत दावा कर रहे है। घूड़या की भूमि र्राज व भरोसी दो पुत्रों के होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि मे जलबाई वादीया को प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज गलत है व अस्वीकार है। जिन्हे केवल आधार मुकदमा बनाने के लिए दर्ज किया गया है ने स्वयं ने अपनी आयु 80 साल होना दर्ज किया है जिससे इतनी बुजूर्ग महिला द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
करौली

ह दावा करने की दुर्भावना स्पष्टत दृष्टिगोचर होती है। वादीया सं0 2 को वादी सं0 1 ने
गला कर यह दावा कराया है वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के हकदार नही है।
द पत्र का मद नं0 7 बाबत् विनाय मुखासमत है जो गलत व अस्वीकार है वादीगण को
नांक 18.07.2004 को कोई विनाय हम प्रतिवादीया सं0 1 व 2 के खिलाफ पैदा नहीं हुआ।
द पत्र के मद नं0 8 व 9 कानूनी है जिनका जवाब देना आवश्यक नही है। वाद पत्र का
द नं0 10 बाबत् अनुतोष है जो गलत व अस्वीकार है वादीगण प्रतिवादगण के खिलाफ कोई
नुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने दावे मे कल्ला को भरोसी का दत्तक पुत्र होना
यदाद हडपने की दुर्भावना से गलत दर्ज किया है। वादीगण ने दावे मे कल्ला को दत्तक
ने के दिन रीति रिवाज, देने लेने की रस्म इत्यादि के सम्बन्ध मे कोई अभिकथन नही लिए
जिससे भी गोद की कहानी झूंठी होना साबित होता है। इसके अलावा वादीगण ने किसी
क्षम दीवानी अदालत से कल्ला को भरोसी का दत्तक पुत्र पुत्र होना घोषित नहीं कराया है
रिणामस्वरूप कल्ला को भरोसी का गोद पुत्र माना जाने योग्य नहीं है। सारे दस्तावेजात मे
ल्ला की वल्दियत गिर्राज होना दर्ज है। पक्षकारान अनुसूचित जनजाति वर्ग मे आते है हमारे
र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है बल्कि हमारी जाति मे
ने हिन्दू लॉ के प्रावधनों के अनुसार सम्पत्ति का इनहेरीटेन्स होता है जिसके अनुसार
र्राज व भरोसी दो पुरूष उत्तराधिकारियों के रहते जलबाई को वादग्रस्त भूमि मे कोई
धिकार खातेदारी पैदा नहीं होते है। घूडया के जीवनकाल मे गिर्राज व भरोसी की मृत्यु होने
परिस्थिति मे ही जलबाई खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकती थी अन्यथा नहीं। फलस्वरूप
बाई को वादग्रस्त आराजीयत मे कभी कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए। प्रतिवादीया
2, 06 वर्ष की अव्यस्क बच्ची व प्रतिवादीया सं0 1 औरत जात है प्रविवादीया सं0 1 व 2
र्थिक रूप से कमजोर व बलहीन है। भरासी के देहान्त के बाद भरासी के बट मे आई भूमि
काश्त कर अर्जित आय से बमुश्किल अपना जीवन निर्वाह कर रहे है। आराजी खसरा नं0
मे प्रतिवादीया सं0 1 व 2 की 1/4 मुश्तर्का खातेदारी व शेष आराजी मुतनाजा में 1/2
की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी अनुरूप मावे पर बंटवारा होकर डौल मेड
रही है व अपने हिस्से पर अब तक निरन्तर काबिज है जबकि तलाई का डांडा शामिल है
एक साल हम व एक साल गिर्राज काश्त करता है। गिर्राज हम प्रतिवादीया सं0 1 व 2
स्से की आराजी को जबरन हडपना चाहता है। इसलिए ही वह जलबाई के हिस्से की
कल्ला को भरोसी की गोद होने की कहानी झूंठी रचकर दावा कर दिया है तथा अपनी
छा में वृद्ध जलबाई को मिला लिया है। दावा राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार नही है।
ण ने वादग्रस्त भूमि को संयुक्त खातेदारी की होना बताते हुए घोषणा खातेदारी के साथ
निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा है जबकि बंटवारे की रिलीफ नहीं मांगी है लिहाजा हम
तेदारों के खिलाफ निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है। इसलिए दावा वादीगण
फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा-करौली

प्रतिवादी सं0 4 द्वारा प्रकरण मे राज्य हित निहित नही होने के कारण कोई जवाबदावा पेश नही किया।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 08.11.2017 से प्रार्थी हरसहाय पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी रूण्डी को वसीयत के आधार पर वादीया सं0 2 जलबाई बेवा घूड़या के स्थान पर वादी पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश दिया गया।

वाद तथ्य, जवाबदावा, मौखिक साक्ष्य, बहस के आधार पर एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावजो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

दिनांक: 23.03.2005 को कायम की गई तनकीयात:–

1. आया खसरा नं0 81 मे घूड़या का 1/2 हिस्सा है शेष आराजी घूड़या की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है ?
2. आया मुताबिक वाद पत्र के मद नं0 2 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है ?
3. आया वादी0 मद नं0 2 अनुसार खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने के अधिकारी है?
4. आया वादीगण के कब्जे काश्त की विवादित भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान डालने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने के अधिकारी है ?
5. अनुतोष ?

दिनांक: 28.09.2005 को कायम की गई तनकीयात:–

01. आया वादीया नं0 2 घूड़या की बेवा होने के आधार पर विवादित आराजी में 1/3 हिस्से की घोषणा कराने की हकदार है ?
–वादीगण
02. आया प्रतिवादी सं0 3 भरोसी का दत्तक पुत्र होने के आधार पर भरोसी के हिस्से मे से 1/3 हिस्सा अपने नाम कराने का हकदार है ?
–प्रतिवादीगण
03. छीतर की संतानों को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाने से दावा खारिज योग्य है ?
–प्रतिवादी नं0 2
04. दादरसी ?

वकील वादीगण ने साक्ष्य मे वादी गिर्राज पी.डब्ल्यू 1, गवाह काडू पी.डब्ल्यू 2, गवाह प्रभू, वादी सं0 2 हरसहाय पी.डब्ल्यू 3, गवाह खिलाडी पी.डब्ल्यू 4, गवाह धर्मसिह पी. डब्ल्यू 5 के शपथ पत्र पेश किये, गवाह प्रभू के अलावा अन्य सभी से जिरह रिकार्ड की गई कोई साक्ष्यवादी प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम कुडगांव सम्बत् 2056–2059 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी ग्राम रूण्डी सम्बत् 2058–61 प्रदर्श 2 व असल वसीयतनामा पेश किये है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वकील ने साक्ष्य प्रतिवादी के तौर प्रतिवादी सं0 1 गयाबाई डी.डब्ल्यू 1, प्रतिवादीया सं0 2 मोनिका उर्फ अखलेशी डी. डब्ल्यू 2 के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नक्शा नागावली 2004 ग्राम रूण्डी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए2, जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम कुडगांव सम्बत् 2027 से 2030 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए3, कृषि भूमि पास बुक की प्रति, नामांतरकरण पंजिका ग्राम कुडगांव की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति पेश किये है।

उपखण्ड अधिकारी सपोटरा ...–करौली

प्रतिवादीया सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.06.2021 को प्रार्थना पत्र न्तर्गत ऑर्डर 6 रूल 17 रेडविद 153 सी.पी.सी. प्रस्तुत किये जाने पर इस पर दोनो पक्षों की हस सुनी जाकर न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीया सं0 2 मोनिका के म के आगे **उर्फ अखलेशी** एवं नाबालिग से बालिग होने पर वाद पत्र के शीर्षक मे **मोनिका र्फ अखलेशी पुत्री भरोसी जाति मीना निवासी रूण्डी तहसील सपोटरा** दर्ज किये जाने के ादेश दिये जाकर लाल स्याही से अंकन किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रकरण मे अंतिम बहस हेतु दिनांक 11.08.2021 को वादी सं0 2, प्रतिवादीया 0 2 एवं अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित आये। वादीगण के अधिवक्ता बहस करना नही चाहते । उन्हे बार बार बहस करने के निर्देश दिये गये फिर भी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस रने से इंकार कर दिया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2 की एकपक्षीय बहस सुनी गई। तिवादी सं0 2 ने अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए अभिवचन किया है कि वादी 0 2 हरसहाय पुत्र गिर्राज ने जलबाई की सम्पत्ति की वसीयत जो प्रस्तुत की है वो गलत पुश्तैनी जमीन की वसीयत नही हो सकती है, वसीयत मे गवाह के तौर पर केवल एक ाह के हस्ताक्षर है कानूनन दो गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसलिए वादी सं0 2 सहाय पुत्र गिर्राज जलबाई की आराजी मे वसीयत के आधार पर कोई घोषणा खातेदारी ने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी सं0 3 कल्ला पुत्र गिर्राज कभी भरोसी का दत्तक पुत्र रहा। कल्ला के सभी दस्तावेजों मे पिता का नाम गिर्राज दर्ज है मतदाता सूची प्रदर्श 2 मे भी कल्ला के पिता का नाम गिर्राज दर्ज है। कल्ला द्वारा गोद पत्र का कोई रजिस्टर्ड तावेज प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीया सं0 2 के अभिभाषक ने दौराने बहस यह भी कहा वादी सं0 1 गिर्राज ने अपने बयानों मे यह स्वीकार किया है कि कल्ला के भरोसी के गोद की कोई लिखा पढी नही हुई है तत्समय कल्ला के पढाई करने, कल्ला द्वारा जमीन नही ने एवं कल्ला की पंढाई का खर्चा वादी सं0 1 गिर्राज द्वारा वहन करने की बात गिर्राज ने बयानों मे स्वीकार किया है। इसलिए कल्ला कभी भी भरोसी के गोद नही गया है। लए भरोसी की जमीनों मे कल्ला को कोई हकूक प्राप्त नही होते है। भरोसी की जमीनो हकदार उसकी विधवा पत्नि गयाबाई को अधिकार है, गयाबाई फौत हो चुकी है जिसकी मात्र वारिस मोनिका उर्फ अखलेशी पुत्री भरोसी है इसलिए विवादित जमीनो मे भरोसी एवं ई के हिस्से 1/2 की अखलेशी उर्फ मोनिका पुत्री भरोसी ही एक मात्र अधिकारी है। दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी सं0 3 के अभिभाषक ने अपने जवाब के अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाना है।

वाद तथ्य, जवाबदावा, मौखिक साक्ष्य, बहस एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार कीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा ...ला–करौली

तकी नं0 1 (दिनांक 23.03.2005) :– आया खसरा नं0 81 में घूड़या का 1/2 हिस्सा है, शेष राजी घूड़या की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। इस तनकी को साबित करने का र वादीगण पर है। वाद पत्र मे उपलब्ध नकल जमाबदी ग्राम कुडगांव तहसील सपोटरा म्बत् 2056–2059 प्रदर्श–1 के अनुसार खसरा नं0 81 में गिर्राज भरोसी पुत्र घूड़या हिस्सा /2 एवं छीतर पुत्र हरचन्द हिस्सा 1/2 दर्ज है इस प्रकार खसरा नं0 81 मे घूड़या का /2 हिस्सा है एवं छीतर पुत्र हरचद का हिस्सा 1/2 रहा है तथा जमाबदी नकल ग्राम ण्डी तहसील सपोटरा सम्बत् 2059–61 प्रदर्श–2 मे गिर्राज प्रसाद भरोसी पि0 घूड़या जाति ीना सा.देह समभाग खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष मे तय की ाती है।

नकी नं0 2 (दिनांक 23.03.2005) :–आया मुताबिक वाद पत्र के मद नं0 2 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है ? उक्त तनकी एवं दिनांक 28.09.2005 को कायम की ई तनकी सं0 1 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयों को साबित करने का र वादीगण पर है। जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम कुडगांव सम्बत् 2027–2030 प्रदर्श ए 3 अनुसार आराजी खसरा नं0 574 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा घूड़या पुत्र मुर्ली जाति मीना के म दर्ज रही है इसके बाद उक्त आराजी घूड़या के वारिशान गिर्राज भरोसी पुत्रान घूड़या के से दर्ज हो गई जो जमाबंदी सम्बत् 2056–2059 ग्राम कुडगांव प्रदर्श–1 मे दर्ज है। या के फोत होने के बाद कानून के मुताबिक उसके वैध वारिश पुत्र गिर्राज, भरोसी एवं की पत्नि जलबाई को उक्त भूमि में हिस्से 1/3–1/3 –1/3 के हकूक प्राप्त है किन्तु या की पत्नि जलबाई की मृत्यु दिनांक 08.12.2008 को हो जाने से उसके हिस्से की भूमि धिकार उसके पुत्र गिर्राज व भरोसी को समाहित हो जाते है, इस प्रकार वादी गिर्राज एवं सी की पत्नि गयाबाई प्रतिवादीया सं0 1 को उक्त भूमि मे हिस्से 1/2–1/2 के हकूक दारी प्राप्त है। वादीया सं0 2 मृतक जलबाई के वारिश की हैसियत से गिर्राज का पुत्र हाय को जरिये वसीयत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08. 017 से उक्त मुकदमा मे जलबाई के स्थान पर वादी पक्षकार संयोजित किये जाने के दिये गये तथा वसीयत के सम्बन्ध मे उसकी वैधता और अवैधता का परीक्षण मूल दावा किये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही प्रकरण पुराना होने के कारण तीन माह मे रण के निर्देश दिये गये। जलबाई द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं भूमि की वसीयत ाय पुत्र गिर्राज को कर देना विधि सम्मत नही है क्योंकि पैतृक सम्पत्ति की वसीयत, तकर्ता के वैध वारिस जीवित होते नहीं की जा सकती है और मृतक जलबाई के वैध पुत्र गिर्राज एवं भरोसी है, भरोसी के मृत्यु के बाद उसकी पत्नि गयाबाई है। मृतक ई घूड़या की विधवा पत्नि है और हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 के सैक्शन 14 (1) व (2) नुसार हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 के प्रभाव मे आने से पूर्व विधवाओं को सम्पत्ति रण के अधिकार नही थे। इसके समर्थन मे वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने माननीय न्यायालय की सिविल अपील नं0 1798/1980 उनवानी श्रीमती नरेश कुमारी व अन्य

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

नाम साक्षी लाल व अन्य न्यायिक नजीर आरबीजे (6) 1999 पेज 242 प्रस्तुत की है जिसके नुसार **Whether widow full owner in property prior into force of 1956 Act. No-rior to coming into force of 1956 Act. Widow sold property without legal necessity-Widow does not become full owner of property under sub-section (1) of ection 14 transfer of property not valid. Reversioners and not the alienee would ave right in said property after the death of widow.** वादी सं0 2 हरसहाय पुत्र गिर्राज रा प्रस्तुत वसीयत रजिस्टर्ड नही है एवं उस पर केवल एक गवाह के हस्ताक्षर है जबकि सीयत पर दो गवाह या उससे अधिक के हस्ताक्षर होना कानूनन आवश्यक है। अभिभाषक तिवादी सं0 1 व 2 ने इसके समर्थन मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय नजीर 2013 एनजे (एससी) नरेन्द्रसिंह व अन्य बनाम एवीएम महेन्द्रसिंह व अन्य प्रस्तुत की है जिसके नुसार **(A) Indian Succession Act, 1925-Sec. 63-Registration Act, 1908-Sec.49–heritence-Will relating to house property-Testato executed the document that n his death or his wife, property would be inherited by the surviver- Alleged ocuments was neither registered nor attested by the two witnesses-Held, ocument is neither Will nor conveyance—on death of owner property would be herited by his wife and sons in equal share. (Paras 7,17)** इसलिए उक्त न्यायिक जीरों से यह स्पष्ट है कि मृतक जलबाई के द्वारा हरसहाय पुत्र गिर्राज को की गई वसीयत के अनुरूप नही है, वादी हरसहाय को वसीयत के आधार पर विवादित भूमि मे कोई धिकार प्राप्त नही होते है। जलबाई की मृत्यु के बाद विवादित भूमि के अधिकार उसके वैध रिस गिर्राज एवं भरोसी के वारिसान प्रतिवादीया सं0 1 व 2 को निहित हो जाते है। इस र विवादित आराजी मे केवल वादी सं0 1 गिर्राज एवं प्रतिवादीया सं0 1 व 2 ही खातेदार तकार साबित है। प्रतिवादी सं0 कल्ला पुत्र गिर्राज का विवादित आराजीयात में दत्तक पुत्र ती की हैसियत से खातेदारी अधिकार साबित होने के लिए तनकी नं0 2 (दिनांक 28.09.05 को कायम) में तय किये जाने है। अतः ये तनकीयां विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

की नं0 3 (दिनांक 23.03.2005 को कायम):– आया वादीगण मद नं0 2 के अनुसार दार काश्तकार की घोषणा कराने के अधिकारी है ? इस तनकी को साबित करने का भार दीगण पर है। जैसा कि तनकी नं0 2 के विवेचन से साबित हो चुका है कि वादी सं0 2 हाय अपनी वसीयत के आधार पर मृतक जलबाई की सम्पत्ति में अधिकार साबित नहीं गया है, इसलिए वादी सं0 2 हरसहाय वाद पत्र के मद नं0 2 के अनुसार खातेदार कार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वकील द्वारा य राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच प्रेमदेवी व अन्य बनाम भोलानाथ गटानी क नजीर प्रस्तुत की है जिसके अनुसार "**सिविल प्रकिया संहिता, 1908–धारा 100–साक्ष्य यम, 1872–धारा 101, 102, 103, व 90–कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद खारिज गया और निर्णय अपील मे पुष्ट हुआ–साबित करने हेतु सबूत का भार अपीलॉण्ट पर था गगत सम्पत्ति श्रीमती जी की निजी सम्पत्ति थी–वसीयत के सम्बन्ध मे धारा 90 के**

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

न्तर्गत उपधारणा नही की जा सकती–साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(सी) के अनुसार वसीयत ाबित करना आवश्यक है–पी.ड. ने स्वीकार किया कि सम्पत्ति के.एल. तथा बी.डी. की पैतृक ी और शामिल मे रहते थे–वादी को स्वयं का स्वामित्व व स्वत्व साबित करना आवश्यक ा–समवर्ती निष्कर्ष–निर्णीत, अन्य सारभूत प्रश्न नहीं बताया और विरचित प्रश्न अपीलॉण्ट के खेलाफ निर्णीत किया–अपील में गुणावगुण नहीं है व खारिज की।" इस प्रकार यह नजीर इस करण मे चरचा होती है वादी सं0 2 हरसाहाय अपनी वसीयत के आधार पर स्वामित्व व स्वत्व ाबित करने मे असफल रहा है। वादीगण कोई खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने के धिकारी नही है, राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज हिस्से अनुसार ही वादी सं0 1 गिर्राज अपना ्सा 1/2 प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

नकी नं0 2 (दिनांक 28.09.2005 को कायम):– आया प्रतिवादी सं0 3 भरोसी का दत्तक पुत्र ने के आधार पर भरोसी के हिस्से मे से 1/3 हिस्सा अपने नाम कराने का हकदार है ? स तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 3 पर है। प्रतिवादी सं0 3 का भरोसी को द जाने का तथ्य वाद पत्र में वादीगण ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है केवल वाद पत्र शीर्षक में कल्ला दत्तक पुत्र भरासी दर्ज किया है जिसके आधार पर भरोसी के आराजी की ाणा खातेदारी कल्ला के नाम किया जाना विधि सम्मत नही है। जिसके सम्बन्ध मे प्रतिवादी 3 कल्ला ने रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है। ना ही अपनी मौखिक साक्ष्य करवाई तथा ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है। गिर्राज वादी सं0 1 के रिकार्ड किये गये न पी.डब्ल्यू. 1 इस प्रकार है–हम दो भाई है। दूसरे भाई का नाम भरोसी है। भरोसी फौत गया है। गयाबाई उसकी औरत है। उसके कल्ला लड़का है जो गोद लिया था। लिखा नहीं हुई। हमारे नारियल बतासे बटते है। कल्ला 19–20 वर्ष का है, वह ट्रेनिंग कर रहा आगरा मे इंजिनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा है। उसके शैक्षणिक दस्तावेजों मे पिता का नाम ज ही लिख रहा होगा मुझे पता नहीं। उसका पढाई का खर्चा साझे के समय साझे मे से थे अब मैं खर्चा दे रहा हूँ। अब भी हम साझे मे रह रहे है। कल्ला यहां आता है तो वोट ने जाता है। मै पढा लिखा नहीं हूँ अतः नहीं बता सकता कि वोटर लिस्ट मे कल्ला के का नाम क्या लिखा है। राशन कार्ड में भी नहीं समझता, राशनकार्ड नहीं है। यह ध्यान कि भरोसी व गयाबाई का अलग से राशनकार्ड हो। मेरे राशनकार्ड मे कल्ला का नाम हो ा नहीं। कल्ला का नाम गयाबाई के राशनकार्ड मे नहीं हो तो मुझे पता नहीं। कल्ला ा है वह जमीनों को नहीं जोत रहा है। वोटर लिस्ट प्रदर्श ए 2 में कल्ला के पिता लिखा हो तो मैं नहीं समझता। इस प्रकार वादी गिर्राज ने अपने बयान मे कल्ला के ाने की लिखा पढी नहीं होना स्वीकार किया है। कल्ला के सभी दस्तावेजों मे पिता का गिर्राज दर्ज है। कल्ला पुत्र गिर्राज को तलबी के लिए भेजे गये रजिस्टर्ड सम्मन पर ी अवकाश पर है रिपोर्ट होकर वापस प्राप्त हुआ है तथा पुनः रजिस्टर्ड डाक से तलबी पर प्राप्तकर्ता अपना नाम कल्ला बता रहा है रिपोर्ट के साथ अदम तामील मे प्राप्त जबकि उसके रजिस्टर्ड लिफाफें पर पता मे कल्लाराम मीना पुत्र गिर्राज प्रसाद अंकित

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा-करौली

ा। इससे यह स्पष्ट है कि कल्ला के पिता का नाम नौकरी मे भी गिर्राज ही है। वकील
प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वोटर लिस्ट की नकल प्रदर्श ए–2 मे भी कल्ला के पिता का
ाम गिर्राज दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि कल्ला गिर्राज का ही पुत्र है उसे भरोसी व
गयाबाई द्वारा कभी गोद नही लिया गया। वादीगण एव कल्ला भरोसी व गयाबाई की जमीनों
को हड़पने की नियत से भरोसी का दत्तक पुत्र बनकर उसकी जमीनों को विधि विरूद्ध तरीके
से हडपना चाहते है। जिसे कोई अधिकार नही है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 3
य की जाती है।

नकी नं0 4 (दिनांक 23.03.2005 को कायम):–आया वादीगण के कब्जे काश्त की विवादित
ूमि में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान डालने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने के
धिकारी है ? इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। मुताबिक जमाबंदी ग्राम
ुडगांव तहसील सपोटरा सम्वत् 2056–2059 प्रदर्श–1 एव ग्राम रूण्डी तहसील सपोटरा
म्वत् 2058–2061 प्रदर्श–2 वादी सं0 1 गिर्राज एवं प्रतिवादी सं0 1 पति एवं प्रतिवादी सं0 2
पिता भरोसी की सहखातेदारी की है। सामान्य सिद्वान्त यह है कि एक सह अधिकारी
युक्त) जोत के प्रत्येक इंच के कब्जे में माना जाता है और उसके विरूद्व कोई व्यादेश जारी
ी किया जा सकता है। इस प्रकार सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक
पर अधिकार होता है जब तक कि सहखातेदारी भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता
इसलिए सहखातेदार को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि सम्मत नहीं
इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने के
कारी नही है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

की नं0 3 (दिनांक 28.05.2005 को कायम):– आया छीतर की संतानों को आवश्यक
कार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाने से दावा खारिज योग्य है ? इस तनकी को
ेत करने का भार प्रतिवादी सं0 2 पर है। जमाबंदी नकल ग्राम कुडगांव सम्वत्
–2059 प्रदर्श–1 के अनुसार आराजी खसरा नं0 81 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा मे गिर्राज
ो पि0 घूड़या रामभाग हि0 1/2 छीतर पुत्र हरचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना निवासी
खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नं0 मे छीतर पुत्र हरचंद सहखातेदार होने के
द उसे आवश्यक पक्षकार नहीं वाद पत्र मे नहीं बनाया गया है। दावा घोषणा खातेदारी
थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत है।
188 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। बिना
तेदार को पक्षकार बनाये धारा 188 आरटीएक्ट का दावा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी
के वकील ने न्यायिक नजीर आरआरडी 1989 पेज 102 सरदारा बनाम सुरजा प्रस्तुत
जो निम्न अनुसार है:– **Rajasthan Tenancy Act, Section 188-If there is a
han tenancy, all co-tenants have to join as plaintiffs- If even one of them
les to join the action, suit cannot proceed. (para 6)** उक्त न्यायिक नजीर इस
मे बखूबी चस्पा होती है, इसलिए सहखातेदार छीतर को दावा मे पक्षकार नहीं बनाये

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

जाने से दावा वादीगण खारिज योग्य है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण, प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नं0 4 व 5:– दादरसी ? उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

बहस प्रतिवादीगण पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त तनकीवार विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी सं0 2 हरसहाय पुत्र गिर्राज जो कि जलबाई बेवा घूडया की सम्पत्ति को वसीयत के आधार पर जलबाई के हिस्से की भूमि की घोषणा खातेदारी कराने के लिए तनकी नं0 3 को अपने पक्ष मे साबित करने के लिए असफल हा है। प्रतिवादी सं0 3 कल्ला, भरोसी पुत्र घूडया के मोद जाने पर भरोसी के हिस्से की मि को अपने नाम घोषणा खातेदारी कराने हेतु तनकी नं0 2 को साबित करने मे असफल हा है। वादीगण अन्य सभी तनकीया जो वादीगण को साबित करनी थी, साबित करने मे सफल रहे है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 तनकी नं0 3 (दिनांक 28.09.2005) जो इन्हे साबित रनी थी, साबित करने मे बखूबी सफल रहे है। इस प्रकार विवादित आराजीयात वाके ग्राम डगाव एवं वाके ग्राम रूण्डी तहसील सपोटरा वादी सं0 1 गिर्राज पुत्र घूडया एवं प्रतिवादी 1 गयाबाई के फौत हो जाने पर उसकी एक मात्र वारिश प्रतिवादी सं0 2 मोनिका उर्फ खलेशी पुत्री भरोसी के खातेदारी की है। इसलिए दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को निर्देश जाते है कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम रूण्डी तहसील सपोटरा के आराजी खसरा 236 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 43 रकबा 03 बीघा, खसरा नं0 130 रकबा 01 08 बिस्वा, खसरा नं0 222 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 292 रकबा 01 बीघा बिस्वा, खसरा नं0 315/211 रकबा 02 बिस्वा तथा वाके ग्राम कुडगांव तहसील सपोटरा करौली के खसरा नं0 574 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 एवं आराजी नं0 81 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा मे हिस्सा 1/4 का भरोसी पुत्र घूडया की विधिक मोनिका उर्फ अखलेशी पुत्री भरोसी के नाम विरासत का नामान्तरकरण नियमानुसार जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को सरे से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओमप्रकाश मीना आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सपोटरा जिला करौली

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली
व इजलास– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

उनवान

गिर्राज प्रसाद आयु 50 साल पुत्र घूड़या जाति मीना
मुसःजलबाई उम्र 80 साल बेवा घूड़या (मृतक हजफ)
2.हरसहाय पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति मीना
निवासीयान रूण्डी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। –वादीगण

बनाम

मुस. मयाबाई आयु 42 साल बेवा भरोसी जाति मीना पुत्र घूड़या (मृतक)(हजफ)
मोनिका उर्फ अखलेशी पुत्री भरोसी जाति मीना निवासी रूण्डी तहसील सपोटरा।
कल्ला मीणा उम्र 22 दत्तक पुत्र भरोसी जाति मीणा
सभी निवासीयान रूण्डी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दमा नम्बरः– 55/04 (पुराना), 16/14 (पुराना), 90/17 (नया)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कआई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री शेरसिंह व श्री चंद गुप्ता अभिभाषक वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री श्यामप्रकाश गर्ग अभिभाषक वादीया सं0 2 एवं श्री मदनमोहन गुप्ता अभिभाषक प्रतिवादी सं0 3 मिनजानिब मुद्दायलह पेश र हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है कि–

वादीगण खारिज किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को निर्देश दिये जाते है कि दित आराजीयात वाके ग्राम रूण्डी तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 236 रकबा 04 05 बिस्वा, खसरा नं0 43 रकबा 03 बीघा, खसरा नं0 130 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, सरा नं0 222 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 292 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा 315/211 रकबा 02 बिस्वा तथा वाके ग्राम कुडगांव तहसील सपोटरा जिला [illegible] सरा नं0 574 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 एवं आराजी खसरा नं0 [illegible] 12 बिस्वा मे हिस्सा 1/4 का भरोसी पुत्र घूड़या की विधिक वारिस मोनिका उर्फ अखलेशी, भरोसी के नाम विरासत का नामान्तरकरण नियमानुसार खोला जाकर राजस्व रिकार्ड मे ल दरामद करे।

निज................मुबलिग..........................बाबत्........................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का ....अदा करे।

ब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.09.2021 को जारी की गई।

(ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
सहायक कलक्टर सपोटरा

मुहर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा		1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टॉम्प वकालतनामा		2. स्टॉम्प अर्जी	
3. स्टॉम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहान	
5. खर्चा गवाहान		5. फीस कमीश्नर	
6. फीस कमीश्नर		6 बबत् इजराय हुक्मनामा	
7. बबत् इजराय हुक्मनामा		7. मुतफर्रिक	
8. मुतफर्रिक			
मीजान		मीजान	
		जोड	